संख्या– 59 8(1)/अड़तीस–5–2015–22सम/2013

प्रेषक,

राम बहादुर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 08 जून, 2015

विषयः–पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 50–50 इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–375/अड़तीस–5–2015–22सम/2013, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्रोतों के सूखने/जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रति विकास खण्ड 50–50 हैण्डपम्पों के रिबोर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2015 में यह उल्लेख है कि इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य 90:10 के अनुपात में शासनादेश संख्या–7481/38–5–2001–653/95, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के अनुसार कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में 50–50 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कराये जाने हेतु विगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवमुक्त धनराशि में से उत्तर प्रदेश जल निगम के पास वर्तमान में अप्रयुक्त धनराशि में से रू0 14592.77 लाख (रूपये एक अरब पैतालिस करोड़ बानबे लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा तत्काल इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य सम्पादित कराये जायें।

4– कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 हेतु मात्राकृत हैण्डपम्पों की रिबोरिंग हेतु वांछित धनराशि रू0 1621.42 लाख (रूपये सोलह करोड़ इक्कीस लाख बेयालिस हजार मात्र)राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पृथक से अवमुक्त किये जांय।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव

D:\2 Joshi\2015\G.K.Shukla\GO-2015.docx

संख्याः 519 (1)/अड़तीस–5–2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
10. निदेशक, एन0आई0सी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

D:\2 Joshi\2015\G.K.Shukla\GO-2015.docx